तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/02/25	वकील अपी॰ उप॰। शेष रेस्पों॰ 2 नवीन साक्ष्य पेश करे। पत्रा॰ वास्ते ता॰त॰ हेतु दि॰ 09/04/25 को पेश हो।	
9/04/25	वकील...कोई उप॰ नहीं।... पीठासीन अधिकारी...अन्य राज कार्य में होने से प्रकरण वास्ते सुनवाई / अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक...4/06/25...को पुर्वादेशानुसार पेश हो। B॰O	
04/06/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपीलान्ट, अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट सं॰1 अनुपस्थित। रेस्पोन्डेंट सं॰ 2 पै॰ रोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील अति॰ जिला कलक्टर, उदयपुर के निर्णय दि॰ 19/02/2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमें अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 को अस्वीकार कर, गुणावगुण पर दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज किया गया है तथा उपखण्ड अधिकारी, झाड़ोल द्वारा 15/12/2005 को आवंटन कमेटी की अनुशंषानुसार किए गए आवंटन जिसमें अब विपक्षी संख्या-1 को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं, को यथावत रखा गया है। अपीलार्थी प्रकरण में दिनांक 13/9/2023 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। डेढ़ वर्ष पश्चात दिनांक 24/02/2025 को उपस्थित होकर, पुनः निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 09/04/2025 को अनुपस्थित रहे तथा आज फिर अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि दिनांक 15/12/2005 के आवंटन की निरस्तगी हेतु अपील (प्रथम) 14 वर्ष पश्चात 23/10/2019 को प्रस्तुत की गई तथा द्वितीय अपील में	

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज.)

	बनाम	

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. /

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी ऐसा कोई नवीन साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो अपील के कथनों की पुष्टि करे। जिससे अति० जिला कलक्टर, उदयपुर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19/02/2021 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझा जाता है। अतः प्रकरण अपीलान्ट द्वारा पैरवी के अभाव में गुणावगुण पर निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 04/06/2025	